



2

न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-65/2025

सरताज खान एवं अन्य

बनाम्

मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

—: आदेश :—

28.07.2025

आवेदक सरताज खान व सरफराज खान व इमतियाज खान तीनों के पिता-स्व० जलील खान व एयाज खान पिता-स्व० सिराज खान सभी निवासी ग्राम+पो०-चकला, थाना-चन्दवा, जिला-लातेहार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई-400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो०-चकला, थाना+अंचल-चन्दवा, जिला-लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय पिता-स्व० जनार्दन राय (सहायक प्रबंधक) जो कोयला खदान के भूमि विभाग में पदस्थापित है, उनके साथ अपनी निम्नांकित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है :-

भूमि का विवरण

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़)
चकला	241	1162	0.50
		1170	0.15
	243	1052	1.44
कुल रकबा—			2.09

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमति के लिए आवेदित भूमि खतियानी भूमि है, जिसपर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है एवं निर्विरोध रूप से अपने स्वत्व अधिकार का उपभोग कर रहे हैं। उक्त भूमि चकला कोयला खदान के खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है और इस भू-खण्ड को द्वितीय पक्ष को बिक्री करना है। ग्राम-चकला थाना-चन्दवा, थाना नं०-238, अंचल-चन्दवा, जिला-लातेहार में स्थित भूमि खाता नं०-241 प्लॉट नं०-1162, रकबा-0.50 एकड़, खाता नं०-241 प्लॉट नं०-1170, रकबा-0.15 एकड़ एवं

48/

खाता नं०-243 प्लॉट नं०-1052, रकबा-1.44 एकड़, कुल रकबा-2.09 एकड़ के मालिक एवं कब्जाधारी रैयत हैं, जो खतियानी है तथा लगान जमा किया जा रहा है। उक्त भूमि के बावत किसी अन्य के नाम से कोई भी कागजात या दस्तावेज मेरे द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, सभी प्रकार के ऋण भार बंध पत्र, न्यायालय या देशी कुर्की विवादों, विलों, विनियमनों कर्ज या लेन-देन से स्वतंत्र या पूर्णतया मुक्त है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का मुकदमा या विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। उक्त भू-खण्ड का राजस्व रसीद हमारे नाम से निर्गत हो रहा है एवं अंचल के राजस्व दस्तावेज/रजिस्टर-II में हमारे नाम से दर्ज है। हमें पुख्ता जानकारी है कि चकला कोयला खदान का स्वामित्व द्वितीय पक्ष मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) ने निधान आदेश (Vesting Order) संख्या-NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 द्वारा दे दिया है तथा भूमि खनन क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसके गर्भ में कोयला है एवं उसका उत्खनन राष्ट्रहित एवं लोकहित में अवश्यम्भावी है। चकला कोयला खनन हेतु अपनी भूमि द्वितीय पक्ष के पास भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप बेचने के लिए तैयार है। द्वितीय पक्ष विधि सम्मत प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य का चार गुणा की दर से भूमि खरीदना चाहती है, जिससे मैं संतुष्ट होकर उक्त जमीन को बेचने एवं कम्पनी के पक्ष में निबंधित विक्रय पत्र करने के लिए तैयार हूँ।

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या-NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 के पृष्ठ-4 पर Annexure 1 Particulars of the mine के Part A-Description of the mine अंकित है जो निम्नवत है-

Name of Coal Mine	Chakla
Coal Field	North Karanpura Coalfield
Latitude	23° 43' 01" N-23° 44' 55" N (Provisional)
Longitude	84°47' 11" E- 84° 49' 52" E (Provisional)
Villages	Chakla, Hariyatoli, Nawatoli, Amwatanr, Ambuatanr
Tehsil/Taluka	Chandwa

District	Latehar
State	Jharkhand

महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास), सेंट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (CMPDI) (A Subsidiary of coal India limited/ Public Sector undertaking of Govt. of India), Gondwana place, Kanke Road, Ranchi के पत्रांक सीएमपीडीआई/बी0डी0/C(993)/E-403607/I-12688 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के चकला कोल ब्लॉक का Topographical survey, Block Boundary demarcation एवं DGPS Survey of Boundary Pillars किया गया है, जिसके Table-I में Block Boundary का सीमांकन कर C1 से C166 तक Boundary Pillars एवं Table-II में Bore-hole Pillars को चिन्हित कर Geographical/UTM/National Coal Grid Co-ordinates की सूची उपलब्ध करायी गयी है। सेंट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड द्वारा Block Boundary demarcation के आलोक में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 1000/रा0 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा चकला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत पड़नेवाले वन भूमि, गैरमजरूआ आम/खास/ जंगल-झाड़ी एवं रैयती भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है। सत्यापन प्रतिवेदन के प्रपत्र-7 में चकला कोल ब्लॉक/मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को प्रस्तावित हाल सर्वे खतियान के अनुसार रैयती भूमि का विवरण अंकित है। प्रपत्र-7 के रैयती भूमि के क्रमांक 848 में चकला ग्राम के खाता नं0-241, प्लॉट नं0-1162, रकबा-0.50 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-धान दो, क्रमांक 849 में चकला ग्राम के खाता नं0-241, प्लॉट नं0-1170, रकबा-0.15 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो, एवं क्रमांक 850 में चकला ग्राम के खाता नं0-243, प्लॉट नं0-1052, रकबा-1.44 एकड़ भूमि का प्रकार-रैयती, किस्म-टांड दो अंकित है। इस वाद की भूमि खाता नं0-241, प्लॉट नं0-1162, रकबा-0.50 एकड़ प्रपत्र-7 पृष्ठ-52 पर क्रमांक 848, खाता नं0-241, प्लॉट नं0-1170, रकबा-0.15 एकड़ प्रपत्र-7 पृष्ठ-52 पर क्रमांक 849 एवं खाता नं0-243, प्लॉट नं0-1052, रकबा-1.44 एकड़ प्रपत्र-7 पृष्ठ-52 पर क्रमांक 850 के अन्तर्गत है। उक्त भूमि को मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय (सहायक प्रबंधक) द्वारा आवेदकगण से बाजार मूल्य के चार गुणा दर पर लेने के लिए इच्छुक है तथा अनुमति के प्रस्तावित भूमि को Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act,

2015) के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या-NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 से कोल ब्लॉक के लिए आवंटित है।

आवेदकगण एवं मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, चन्दवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

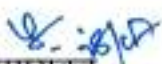
अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 640 दिनांक 28.06.2025 से प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार प्राप्त हुआ। आम इस्तेहार के विरुद्ध किसी का आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि आवेदकगण का खतियानी भूमि है, जिसका नामान्तरण वाद सं०- 252/2024-25 एवं 253/2024-25 से मांग पंजी-॥ में आवेदकगण का नाम दर्ज है। आवेदकगण भूमि के दखलकार है। आवेदित भूमि का सब जज-1, लातेहार के न्यायालय में O.S. No. 05/2020-21 लंबित है। अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा भूमि बिक्री के लिए अनुशंसा नहीं किया गया।

इस प्रकार आवेदकगण द्वारा अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि विवादग्रस्त प्रतीत होता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में सरताज खान वो सरफराज खान वो इमतियाज खान तीनों के पिता-स्व० जलील खान वो एयाज खान पिता-स्व० सिराज खान सभी निवासी ग्राम+पो०-चकला, थाना-चन्दवा, जिला-लातेहार द्वारा अनुमति के लिए दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, चन्दवा को उपलब्ध कराये। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।